

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/ —/2025 दि0 लखनऊ: दिसम्बर 19, 2025

—: संशोधित आदेश ::—

मुख्यालय के आदेशांक 1364/2025 दिनांक 31-10-2025 के द्वारा माह दिसम्बर, 2025 में जनपद गोरखपुर में युगलपीठ का गठन दिनांक 29-12-2025 से 31-12-2025 तक किया गया था। उपरोक्त युगलपीठ में विभागीय सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2 कानपुर को नामित किया गया था।

सदस्य, पीठ-2, कानपुर के द्वारा पत्र संख्या 220 दिनांक 16-12-2025 से सूचित किया गया है कि वह दिनांक 29-12-2025 से 31-12-2025 तक अवकाश पर रहेंगे।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 1364/2025 दिनांक 31-10-2025 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, जनपद गोरखपुर में दिनांक 29-12-2025 से 31-12-2025 तक गठित युगलपीठ तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

Sd/-19.12.2025

(रमेश चन्द-1)

एच0जे0एस0

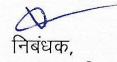
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/1557/2025 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, बरेली पीठ, बरेली।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-द्वितीय, कानपुर।
- 3- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, ~~अयोध्या~~ पीठ गोरखपुर।
- 4- वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेब अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,


निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।